न्यायालय जिला कलक्टर (रसद) अजमेर जिला अजमेर

खाद्य सुरक्षा अधि0 अपील सं. 02/2017

मोहनदास पुत्र शामनलाल निवासी अजयनगर अजमेर। ....अपीलार्थी

बनाम

उप खण्ड अधिकारी, अजमेर, जिला–अजमेर (राज0) ....प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

दिनांक – 26.04.2017

आदेश

अपीलान्ट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की सूची में नाम जुडवाने हेतु प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर के यहाँ प्रस्तुत की गई। उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा नगर निगम अजमेर की जांच एवं आयुक्त नगर निगम, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर आदेश दिनांक 30.12.2016 के द्वारा कुल 59 अपील खारिज की गई जिसमें कम संख्या 48 पर अपीलान्ट को अपात्र अंकन करते हुए अपील खारिज की गई है जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से टिप्पणी मय मूल रेकार्ड प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र एवं उप खण्ड अधिकारी, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का मय रेकार्ड अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र/द्वितीय अपील तथ्यो अनुसार अपीलान्ट का भामाशाह कार्ड तथा राशन कार्ड ए.पी.एल बना हुआ है। अपीलान्ट का एक नाबालिग पुत्र उम्र 14 वर्ष, मानसिक रूप से पीडित है, जिसका इलाज अहमदाबाद में होना बताया गया है। अपीलान्ट ई–रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उसके इलाज का खर्च वहन करने में असमर्थ है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील, अपीलान्ट स्वीका कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता कि वे पुनः जॉच करवाकर 30 दिवस में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.04.2017 को सरे इजल सुनाया गया।

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर(रसद)
अजमेर

Scanned by CamScanner